

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर

क्रमांक:-ए.4( )लेखा/राज्य निधि/2023-24/718

दिनांक:- 5.2.24

समस्त संयुक्त निदेशक,  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी,

**विषय:-** राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण आईएफएमएस 3.0 अन्तर्गत भेजने हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में।

**संदर्भ:-** निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 191-U दिनांक 31.01.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण आईएफएमएस 3.0 के अन्तर्गत निस्तारित किये जा रहे हैं।

आईएफएमएस 3.0 की प्रक्रिया के संबंध में प्रायः देखा जा रहा है कि कार्मिक/संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्रकरण ऑनलाइन करते समय काफी त्रुटियां की जा रही है, जिससे पेंशनर्स को उचित पेंशन परिलाभ समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं एवं कुछ कार्मिक/कार्यालयाध्यक्ष इस प्रक्रिया से पूर्णतः परिचित भी नहीं है। अतः पेंशन प्रकरणों में पूर्ण जानकारी के अभाव में हो रही त्रुटियों में सुधार हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु संलग्न तालिका अनुसार नोडल अधिकारी के साथ-साथ संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/तकनीकी सदस्य को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करावें।

**संलग्न:-** उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

RajKaj Ref  
5480559

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

Digitally Signed by RAVI PRAKASH  
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI  
PARKASH MATHUR  
Designation: Director  
Date :02-02-2024 04:50:27